न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

करण सं. 116/13/टीआई

1. भागीरथ मल पुत्र श्री दानाराम उम्र 49 वर्ष जाति जाट निवासी लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. रामपाल उम्र व्यस्क } पुत्रगण गोविन्दराम
2. सुण्डाराम उम्र व्यस्क }
3. चूंकी देवी धर्मपत्नी रामपाल उम्र व्यस्क
4. जमनादेवी धर्मपत्नी श्री सुण्डाराम उम्र व्यस्क
   समस्त जाति जाट निवासीगण लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री रतनलाल पलसानिया वकील अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से

निर्णय दिनांक— 16.11.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 52, 53, 63, 64, 67 ता 73, 77, 723 ता 725, 726/1334, 727/1335, 733, 737 ता 739, 741, 745 किता 23 कुल रकबा 13.43 है0, ख.नं. 54, 61, 62, 74 ता 76, 81/1328 किता 7 कुल रकबा 2.75 है0 ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। ख.नं. 52, 53, 63, 64, 67 ता 73, 77, 723 ता 725, 726/1334, 727/1335, 733, 737 ता 739, 741, 745 किता 23 कुल रकबा 13.43 है0 में से 1/20 हिस्से की खातेदारी आवेदक के नाम से एवं शेष खसरा नम्बरान की खातेदारी अनावेदकगण सं. 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि आराजियात आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 ता 4 के कब्जे काश्त एवं राजस्व रिकार्ड की भूमियों है। उक्त कृषि भूमियों में आवेदक एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 4 अपने हक हिस्से के मुताबिक काश्त कर अपने परिवार का जीवन यापन करते है। उक्त भूमियों में न ही तो अनावेदकगण सं. 1 ता 4 को एवं न ही किसी दीगर व्यक्ति को आवेदक के उपयोग, उपभोग एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने का एवं न ही आवेदक के उक्त कृषि आराजियात के हक हिस्से व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने, सींव नींव तोड़ फोड़ करने

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

का अनावेदकगण को कोई अधिकार नहीं हैं आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित भूमियों के मध्य नींव सींव का नाप चौक किया जाकर विधिक रूप से मुताबिक राजस्व रिकार्ड पत्थरगढी की हुई नहीं है। आवेदक ने अनावेदकगण को कई मर्तबा अपने उक्त भूमियां के नींव सींव के विवाद को मिटाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारियों से नाप चौक करवाकर पत्थरगढी के लिए आग्रह किया जा चुका है किन्तु अनावेदकगण आवेदक से संख्या में अधिक होने के कारण उक्त भूमियों को भूमाफियाओं से साज कर हड़पना चाहते है क्योंकि अनावेदकगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार सुरक्षित नहीं है इसलिए आवेदक को अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि जब तक उक्त भूमियों के मध्य सींव का नाप चौक होकर पत्थरगढी कर सींव नींव न हो जाये तब तक अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना प्रार्थनीय है। इसलिए आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम हुआ है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक/प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति भी आवेदक को ही हो रही हे इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना अति आवश्यक है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नं. 52, 53, 63, 64, 67 ता 73, 77, 723 ता 725, 726/1334, 727/1335, 733, 737 ता 739, 741, 745 किता 23 कुल रकबा 13.43 है0, एवं ख.नं. 545, 61,62, 74, 75, 81/1328 किता 7 कुल रकबा 2.75 है0 के मध्य भूमियों का सही नाप चौक एवं सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी किये जाने पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने, नींव सींव फोड़ने, बलात् कब्जा करने एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने, किसी दीगर व्यक्ति को अंतरण व राजस्व रिकार्ड में तब्दीली करने से प्रतिवादीगण स्वयं, परिजन, एजेंट तादौराने दावा बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री रतनलाल पलसानिया उपस्थित हुए व जवाब आवेदन स्थगन बिन्दुवार पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 54, 61, 62, 74, 75, 76, 81/1328 किता 7 कुल रकबा 2.75 है0 उतरदातागण की एकमात्र एकांकी राजस्व रिकार्ड खातेदारी शुदा एवं कब्जे काश्त की भूमियां रही है जिनका उतरदातागण ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.05.2013 को श्रीमती मंजूदेवी धर्मपत्नी श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को विकय कर दिया है। विकय पत्र उप पंजीयक कार्यालय दांतारामगढ के यहां पर दिनांक 28.5.2013 को पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में उक्त विकयाधीन भूमियों पर केत्री बहैसियत काबिज काश्तकार काश्त कर अपने उपयोग तथा उपभोग में लेती चली आ रही है। आवेदक का उक्त भूमियों से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा न ही आवेदक उक्त उतरदातागण की भूमियों का सह खातेदार है तथा न ही आवेदक का उद्घोषणा का वाद है इसलिए कानूनन रूप से

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

आवेदक उतरदातागण के एकांकी राजस्व रिकार्ड की भूमियां बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आवेदन खारिज फरमाया जावें।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन स्थगन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात में प्रार्थी का 1/20 हि. दर्ज है । उक्त भूमियों में आवेदन एवं अनावेदक सं. 1 ता 4 अपने हक हिस्से के मुताबिक काश्त करते है। विवादित भूमियों के मध्य मीद सीद का नाप चौक होकर पत्थरगढी नही हुई है जिसके लिए मीद सीद का विवाद मिटाने के लिए राजस्व अधिकारियों से नाप चौक करवाकर पत्थरगढी के लिए आग्रह किया जा चुका है किन्तु अनावेदकगण आवेदक से संख्या में अधिक होने के कारण उक्त भूमियों को भूमाफियाओं से साज कर हड़पना चाहते है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 ने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 54, 61, 62, 74, 75, 76, 81/1328 किता 7 कुल रकबा 2.75 है0 उतरदातागण की एकमात्र एकांकी राजस्व रिकार्ड खातेदारी शुदा एवं कब्जे काश्त की भूमियां रही है जिनका उतरदातागण ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.05.2013 को श्रीमती मंजूदेवी धर्मपत्नी श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को विकय कर दिया है। विकय पत्र उप पंजीयक कार्यालय दांतारामगढ के यहां पर दिनांक 28.5.2013 को पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में उक्त विकयाधीन भूमियों पर केत्री बहैसियत काबिज काश्तकार काश्त कर अपने उपयोग तथा उपभोग में लेती चली आ रही है। आवेदक का उक्त भूमियों से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा न ही आवेदक उक्त उतरदातागण की भूमियों का सह खातेदार है तथा न ही आवेदक का उद्घोषणा का वाद है इसलिए कानूनन रूप से आवेदक उतरदातागण के एकांकी राजस्व रिकार्ड की भूमियां बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का आवेदन स्थगन इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात राजस्व ग्राम लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 54, 61, 62, 74, 75, 76, 81/1328 किता 7 कुल रकबा 2.75 है0 अप्रार्थीगण सं. 1 ता की एकमात्र एकांकी खातेदारी शुदा भूमियां है जिनका अप्रार्थी सं. 1 ता ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.05.2013 को श्रीमती मंजूदेवी धर्मपत्नी श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को विकय कर दिया है। उक्त भूमियों का केता के नाम ना.करण नहीं खुला है तथा ना.करण को रोकने के लिए प्रार्थी द्वारा यह स्थायी निषेधाज्ञा का दावा व टीआई पेश की गई है। वकील प्रार्थी ने किसी अधिकारी के समक्ष सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का आवेदन पेश किया हो, प्रति न्यायालय में पेश नहीं की गई है मात्र केता को हैरान व परेशान करने की नियत से यह स्थगन आवेदन पेश किया है जो चलने योग्य है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 एवं केता का है तथा विकीत भूमि का ना.करण नहीं होने से अपूरणीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 एवं केता को होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्थगन सारहीन होने से

अधिकारी, दांतारामगढ

खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 16.11.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ